UPKU100054182022

न्यायालय Civil Judge (S.D.)/ Addl Chief Judicial Magistrate Kasia Kushinagar,

पीठासीन अधिकारी- (MAYANK PRAKASH), (यू०पी०आई०डी०नं०) - UP02293

प्रकीर्ण वाद सं०/एफ०आर० सं०-460/2022

सोहनलाल गुप्ता बनाम अज्ञात।

धारा-419,420 भा०दं०सं० व 66D I.T. Act
थाना-अहिरौली बाजार, जिला-कुशीनगर
मु०अ०सं०-93/2021

दिनांक- 24.03.2026

1. पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली का अवलोकन किया।

2. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी सोहनलाल गुप्ता ने लिखित तहरीर थाना-अहिरौली बाजार पर अज्ञात के नाम दी थी, जिसके आधार पर संबंधित थाना पर मु०अ०सं०-93/2021 अन्तर्गत धारा-419,420 भा०दं०सं० व 66D I.T. Act सोहनलाल गुप्ता बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया एवं अपराध की विवेचना की गयी तथा विवेचना के उपरान्त पुलिस थाना-अहिरौली बाजार जिला-कुशीनगर द्वारा उक्त अपराध के संबंध में अन्तिम आख्या न्यायालय में प्रेषित की गयी जो न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रकीर्ण वाद के रूप में पंजीकृत हुई एवं वादी को नोटिस प्रेषित किये गये।

3. वादी/प्रार्थी ने दिनांक-24.03.2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी मुकदमा उक्त लड़ना नहीं चाहते है। प्रार्थी प्रत्येक तारीख पेशी पर न्यायालय उपस्थित आकर मुकदमा की पैरवी करने में सक्षम नहीं है। अतः याचना की गई कि अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार की जाये।

4. वादी/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के परिपेक्ष्य में वादी/प्रार्थी सुरेश चौहान का न्यायालय में बयान अंकित किया गया कि मु०अ०सं० 93/2021 थाना अहिरौली बाजार जिला कुशीनगर में जो पुलिस द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई है उस पर मुझे कोई आपत्ति दाखिल नहीं करना है। मुझे न्यायालय आने जाने से उन्मुक्त किया जाये।

5. विवेचक द्वारा की गयी विवेचना में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि दृष्टिगत नहीं होती है।

6. अतः सी०डी० के अवलोकन से तथा वादी मुकदमा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दृष्टिगत रखते हुए मु०अ०सं 93/2021 अन्तर्गत धारा-419,420 भा०दं०सं० व 66D I.T. Act में संबंधित पुलिस थाना द्वारा प्रस्तुत अन्तिम आख्या सं० B05/2022 दिनांक 14.03.2022 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रकीर्ण वाद सं०/एफ०आर० सं०-**460/2022,** मु०अ०सं० 93/2021, अन्तर्गत धारा 419,420 भा०दं०सं० व 66D I.T. Act में संबंधित पुलिस थाना-अहिरौली बाजार द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या सं० B05/2022 दिनांक 14.03.2022 स्वीकार की जाती है। पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

सिविल जज (सी०डि०)/ए.सी.जे.एम.
कसया, कुशीनगर।
आई.डी. नम्बर– U.P. JO Code–2293

Digitally signed by MAYANK PRAKASH
Date: 2026.03.24 15:06:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court